03-3-2021

श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी श्री अख्तर अली पुत्र मोहम्मद अली, जाति– नागौरी, निवासी– जेल रोड, सिरोही, जिला– सिरोह, एफ.बी.ओ. एवं विक्रेता, फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही एवं प्रतिवादी मो. अशरफ पुत्र मो. अली, जाति– मुस्लिम, निवासी– जेल रोड, सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादीगण ने संयुक्त रुप से लिखित जवाब [illegible] अनुरोध किया कि मुझ मोहम्मद अशरफ की दुकान [illegible] का नाम नागौरी मिल्क सेन्टर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच के लिये 27.10.2020 को मेरे दुकान पर [illegible] तब मेरे दुकान

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.11/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर मेरा छोटा भाई अख्यतर अली बेठा था। जांच टीम द्वारा 2 लीटर दूध जांच के लिये लेकर गये। जांच रिपोर्ट में मेने पाया गया कि मेरे द्वारा दिये गये दूध जो कि मिक्स दूध पाया, जिसके लिये मैं माफी चाहता हूँ। मैं गांवो से दूध खरीदता हूँ तो कभी कभी दूध बेचने वाले द्वारा मिक्स दूध आ जाता है और इसलिये आज के बाद में इसका ध्यान रखूंगा।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने अमानक खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2020 को समय 01.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी अख्तर अली पुत्र मोहम्मद अली, निवासी– जेल रोड, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को मिक्स्ड मिल्क बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी अख्तर अली से डेयरी मालिक के बारे में जानकारी चाही तो बताया कि डेयरी मालिक अशरफ पुत्र मो. अली, निवासी– जेल रोड, सिरोही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नागौरी मिल्क सेन्टर के अन्दर डीप फ्रिज में स्टील की टंकी में बिक्री हेतु मौजूद मिक्स्ड मिल्क लगभग 40 लीटर को एक लीटर के नपने से अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना [illegible] कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ मिक्स्ड [illegible] का नमूना संख्या S-1197 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, [illegible] को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की [illegible] रिपोर्ट [illegible]

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.11/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	क्रमांकःL.S./559/Act/2020/559 दिनांक 31.10.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता प्रतिवादी अख्तर अली द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही का मालिक प्रतिवादी मो. अशरफ पुत्र मो. अली, जाति– मुस्लिम, निवासी– जेल रोड, सिरोही है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी मो. अशरफ पुत्र मो. अली, जाति– मुस्लिम, निवासी– जेल रोड, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म नागौरी मिल्क सेन्टर, सरजावाव गेट, सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी मो. अशरफ पुत्र मो. अली को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.3.2021 को पेश हो। 3/3/2021 (गितेश मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Gitesh Malaviya Date: 2021.06.09 17:07:54 IST Reason: SelfAttested	